



कार्यालय नगर परिषद, खगौल

E-mail :- nagarparishadkhagaul@gmail.com

पत्रांक.....३२४..... दिनांक.....०१/०५/२०२१

प्रेषक,

नगर कार्यपालक पदाधिकारी,
नगर परिषद, खगौल, पटना।

सेवा में,

Kapildeo Vishwakarma and Others
Vill- Khagaul Road, Yarpur
Gardanibagh, Patna.

विषय : भवन निर्माण योजनाओं की स्वीकृति में श्रम-सेस (Labour Cess) की वसूली के संबंध में।
प्रसंग : श्रम संसाधन विभाग बिहार भवन एवं सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड बिहार पटना का पत्र संख्या-733, दिनांक-10.08.2018

महाशय,

उपर्युक्त प्रासंगिक विषयक के संबंध में कहना है कि निगम में महालेखाकार लेखा परीक्षाद्वारा कार्यालय के द्वारा वर्ष 2016-17 के अंकेक्षण के दौरान अंकेक्षण दल द्वारा यह आपत्ति की गई है कि भवन निर्माण की योजनाओं की स्वीकृति में श्रम-सेस की वसूली नहीं की जा रही है।

श्रमायुक्त, श्रम संसाधन विभाग, बिहार सरकार पत्रांक सं०-वी०सी० डब्लू०सी०-24/2008, श्र० सं०-445 के आलोक में भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण उपकर अधिनियम 1996 की धारा 3 के अन्तर्गत निर्माण कामगारों के कल्याणार्थ सरकारी या गैर सरकारी निर्माण पर व्यय किये जाने वाले कुल राशि का 01 प्रतिशत सेस के रूप में संग्रह किया जाना है। इस संबंध में The Building and Other Construction Workers Cess Rules 1998 के कंडिका 4 (4) एवं Building and Other Construction Workers Welfare Act 1996 के कंडिका 3 (3) के आलोक में निर्माणकर्ता को निर्माण कार्यों की स्वीकृति हेतु आवेदन के साथ लेबर सेस का बैंक ड्राफ्ट भी स्थानीय निकायों को भी समर्पित करना आवश्यक है।

आपके द्वारा प्लॉन केस सं०- NPK-Hadaspura-Com/Res-L+U+G+7/94/2021 के तहत G+6 तक का बिल्ट एरिया 5354.50 जिसका अंकेक्षण दल द्वारा 14,500 /- रुपये प्रति वर्ग मीटर निर्माण लागत का 01 प्रतिशत की दर से राशि लेबर सेस के मद में जमा करना अतिआवश्यक है एवं अतिरिक्त एक मंजिल का बिल्ट एरिया 360.00 जिसका अंकेक्षण दल द्वारा 15,060 /- रुपये प्रति वर्ग मीटर निर्माण लागत की दर से जमा करना होगा।

अनुमति (अनुज्ञा) जारी किए जाने की तारीख से छः महीने के अंदर कार्य या कार्य प्रारंभ से पूर्व जो पहले हो तक प्राक्कालित राशि के अनुसार या निम्नलिखित राशि में जो अधिक हो उस राशि को इस कार्यालय में जमा करना सुनिश्चित करेंगे।

क्रम सं०	बिल्ट एरिया/दर	कुल लागत का 1% लेबर सेस
1.	Ground to Sixth Flour 14500x5354.50 = 77640250	7,76,403/-
2.	अतिरिक्त एक मंजिल 15060x360.00 = 5421600.00	54,216/-
	कुल राशि	8,30,619/-

विश्वासभाजन

[Signature]
01/05/2021
नगर कार्यपालक पदाधिकारी,
नगर परिषद, खगौल, पटना।
नगर परिषद, खगौल

DR. KUMARTE ENCOIN

[Signature]
PARTNER



कार्यालय नगर परिषद, खगौल

E-mail :- nagarparishadkhagaul@gmail.com

पत्रांक.....3.07..... दिनांक...01/04/2021


फारम-VIII- क
भवन की परमिट के अनुमोदन का फारम
उपविधि संख्या-8(4)

आप के आवेदन संख्या- **NPK-Hadaspura-Com/Res-L+U+G+7/94/2021** तिथि-13.02.2021 के संदर्भ में श्रीमति/श्री **Kapil deo Vishwakarma and Others** के लिए

(क.) **L+U+G+7 आवासीय / व्यवसायिक भवन के निर्माण**


खगौल नगर परिषद बिहार शहरी आयोजना तथा विकास अधिनियम, 2012 के अधीन अधिसूचित नगर विकास योजना/आयोजना प्राधिकार/आयोजना स्कीम के आवासीय प्लॉट नं०(सी०एस०) -663,664 खाता नं० 213,226 मौजा नं०-हदसपुरा, थाना नं०-38, तौजी नं०- 5618 गाँव- खगौल रोड, यारपुर, गर्दनीबाग, पटना, मोहल्ला- खगौल रोड, यारपुर, गर्दनीबाग, पटना, वार्ड नं०-..... के बाबत निम्नलिखित शर्तों/निर्वधनों के अध्याधीन एतद्र द्वारा अनुमति प्रदान की जाती है:-

- (क.) भूमि/भवन का उपयोग अनन्य रूप से **L+U+G+7 आवासीय / व्यवसायिक** प्रयोजन के लिए किया जाएगा और इस प्राधिकार के पूर्व अनुमोदन के बिना उपयोगों को किसी अन्य उपयोग के लिए परिवर्तित नहीं किया जाएगा।
- (ख.) विकास पूर्ण रूप से आवश्यक अनुमति के पृष्ठांकन के साथ संलग्न योजनाओं के अनुसार किया जाएगा।
- (ग.) अनुमोदित योजना में दर्शाता गया ^{1618.06} ~~1598.80~~ वर्ग मीटर का पार्किंग स्थान खुला रखा जाएगा और इसके किसी भाग पर निर्माण नहीं किया जाएगा।
- (घ.) प्रस्तावित निर्माण वाली भूमि 32.39 मीटर चौड़ाई के अनुमोदित पहुँच मार्ग के माध्यम से सुगम्य होगी।
- (ङ.) प्रश्नगत भूमि आवेदक के विधिपूर्ण स्वामित्व एवं शांतिपूर्ण कब्जा में अवश्य हो।
- (च.) सड़क को मानक चौड़ाई तक और चौड़ी करने के लिए आवेदक विभिन्न विकास योजना/आयोजना प्राधिकारों/या बिहार शहरी आयोजना तथा विकास अधिनियम, 2012 के अधीन अधिसूचित किसी योजना स्कीम के अधीन आच्छादित सुसंगत आयोजना प्राधिकार/ग्राम पंचायत के अधीनस्थ खगौल नगर परिषद आयोजना क्षेत्र में आवेदक द्वारा कोई भूमि की पट्टी मुफ्त उपहार के रूप में नहीं दी गई है।
- (छ.) अनुमति (अनुज्ञा) जारी किए जाने की तारीख से तीन वर्षों की अवधि के लिए विधि मान्य होगी।
- (ज.) इस उपबंध के अधीन दी गयी अनुमति को उस भूखंड, जिसके लिए योजना अनुमोदित की गयी हो, के अधिकार/हक/हित की बाबत साक्ष्य नहीं मानी जाएगी।



OFFICER

- (झ.) योजना के अनुमोदन के पश्चात् भू-अभिलेख के कारण या अधिकार/हक/हित की बात कोई विवाद होने पर, विवाद की अवधि के दौरान योजना स्वतः रद्द समझी जाएगी।
- (ज.) कोई अन्य शर्त।

विश्वासमाजन



01/04/2021
नगर कार्यपालक पदाधिकारी
नगर परिषद् खगौल, पटना।
नगर परिषद्, खगौल

ज्ञापांक- 307, दिनांक 01/04/2021
प्रतिलिपि: अनुमोदित योजनाओं की प्रतियों के साथ श्रीमती/श्री को
सुचनार्थ।


01/04/2021
नगर कार्यपालक पदाधिकारी
नगर परिषद् खगौल, पटना।
नगर परिषद्, खगौल


ज्ञापांक- 307, दिनांक 01/04/2021

प्रतिलिपि: योजना की अनुमोदित प्रति के साथ विकास योजना/आयोजना प्राधिकार या किसी योजना स्कीम के अधीन आच्छादित आयोजना प्राधिकार/ग्राम पंचायत क्षेत्रों के अधीनस्थ नगर निगमों/नगर परिषद्/नगर पंचायतों/महानगर क्षेत्र को सुचनार्थ।


01/04/2021
नगर कार्यपालक पदाधिकारी
नगर परिषद् खगौल, पटना।
नगर परिषद्, खगौल

ज्ञापांक- 307, दिनांक 01/04/2021

प्रतिलिपि: नगर एवं क्षेत्रीय निवेशन संगठन, बिहार, पटना को सुचनार्थ।


01/04/2021
नगर कार्यपालक पदाधिकारी
नगर परिषद् खगौल, पटना।
नगर परिषद्, खगौल

DEV KANSAMANTH ENGINEER


ENGINEER

